

अध्याय VII

टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड तथा टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

7.1 कम्पनी की संक्षिप्त रूपरेखा।

मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (टी टी एस एल) को 1996 और दिसंबर 2002 में निगमित किया गया था। टी टी एस एल ने हगिस टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड (एच टी आई एल) की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 50.83 प्रतिशत अर्जित किया जिसके पास महाराष्ट्र में पास बेसिक लाइसेंस था। 13 फरवरी 2003 को, एच टी आई एल का नाम बदलकर मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (टी टी एम एल) कर दिया गया था और यह टी टी एस एल की सम्बद्ध कम्पनी है। टी टी एस एल, दोहरी तकनीकी पर आधारभूत सेवायें तथा सेल्यूलर सेवायें जैसा सी डी एम ए और जी एम एम प्रदान करता है।

7.1.1 टीटीएसएल और टीटीएमएल को लाइसेंस प्रदान किये गये।

टी टी एस एल को सितम्बर 1997 में आंध्र प्रदेश एल एस ए में बेसिक लाइसेंस दिया गया था तथा अगस्त 2001 में इसे पांच¹ और अधिक एल एस ए के लिये बेसिक लाइसेंस दिये गये थे बाद में, जनवरी-फरवरी 2004 के दौरान, कम्पनी को बारह² और यू ए एस एल लाइसेंस दिये गये थे। 2008 में, असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के लिये तीन नये यू ए एस एल लाइसेंस प्रदान किये गये थे। टी टी एम एल के पास मुम्बई और महाराष्ट्र में यू ए एस एल है³ इसलिये टी टी एस एल और टी टी एम एल की सभी 22 एल एस ए में उपस्थिति है।

टी टी एस एल के पास एन एल डी लाइसेंस भी है तथा टी टी एम एल के पास आई एस पी लाइसेंस है।

7.1.2 टीटीएसएल व टीटीएमएल को स्पेक्ट्रम आबंटित किये गये

31 मार्च 2010 को टी टी एस एल व टी टी एम एल को आबंटित स्पैक्ट्रम निम्नलिखित थे।

तालिका 7.1

क्र.सं.	स्पैक्ट्रम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र
सीडीएमए		
1	2x5 एमएचजेड	आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुम्बई
2	2x3.75एमएचजेड	चेन्नई, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, कोलकाता, पंजाब, राजस्थान, यू.पी. (पूर्व), यू.पी. (पश्चिम)
3	2x2.5 एमएचजेड	तमिल नाडु, असाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर, मध्य प्रदेश, (उत्तर पूर्व), उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
जीएसएम		
1	2x4.4 एमएचजेड	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तमिल नाडु (इन्क्लूडिंग चेन्नई), गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, केरल, कोलकाता, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मुम्बई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यू.पी.(पूर्व), यू.पी. (पश्चिम), पश्चिम बंगाल

1 दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिल नाडु (इन्क्लूडिंग चेन्नई)

2 पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यू.पी. (पूर्व), यू.पी. (पश्चिम) और कोलकाता

7.1.3 टी टी एस एल व टी टी एम एल का अभिदाता बेस

टी टी एस एल/टी टी एम एल के अभिदाता 31 मार्च 2007 को 1.66 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 में 6.71 करोड़ हो गये, इस प्रकार 305 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान, टी टी एस एल ग्रुप चौथे स्थान पर बना रहा तथा इसका मार्किट शेयर मार्च 2007 को 8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2010 में 11 प्रतिशत हो गया।

7.1.4 सकल राजस्व, कटौती, बताया गया समायोजित सकल राजस्व तथा टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा भुगतान किया गया राजस्व अंश

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा अपेक्षित है कि वे जी आर की प्रतिशतता पर एल एफ व एस यू सी का भुगतान स्वमूल्यांकन के आधार पर हर तिमाही में करें। इन वर्षों में टी टी एम एल द्वारा भुगतान किये गये सकल राजस्व, कटौती, बताया गया समायोजित सकल राजस्व व टी टी एस एल तथा राजस्व अंश (एल एफ व एस यू सी) निम्नलिखित थे:

तालिका 7.2

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	वर्ष	सकल राजस्व	कटौतियां	समायोजित सकल राजस्व	प्रतिशतता	राजस्व अंश
टीटीएसएल	2006-07	5,015.43	1,570.06	3,445.37	68.7	318.18
टीटीएसएल	2007-08	5,921.93	1,853.03	4,068.90	68.71	370.68
टीटीएसएल	2008-09	6,510.74	2,222.26	4,288.48	65.87	388.91
टीटीएसएल	2009-10	6,125.02	1,497.10	4,627.92	75.56	416.32
Total		23,573.12	7,142.45	16,430.67	69.7	1494.09
टीटीएमएल	2006-07	1,389.45	358.60	1,030.85	74.19	103.08
टीटीएमएल	2007-08	1,702.95	395.34	1,307.62	76.79	130.76
टीटीएमएल	2008-09	1,912.34	427.39	1,484.94	77.65	148.49
टीटीएमएल	2009-10	2,038.65	387.89	1,650.75	80.97	165.07
Total		7,043.38	1,569.22	5,474.16	77.72	547.42

7.2 टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा राजस्व कम बताया जाना

जैसा कि पैराग्राफ 1.4 (क) में उल्लिखित है, सकल राजस्व उसमें बताये गये सभी प्रकार के राजस्व का व्यय की सम्बन्धित मद के लिये, कोई घटाये बिना समावेशन होगा।

जैसा कि यू ए एस एल करार के परिशिष्ट III में भी उल्लिखित है, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दर्शाया जायेगा तथा कमी/छूट के ब्यौरे अलग से दर्शाये जायेंगे।

टी टी एस एल तथा टी टी एम एल के अभिलेखों/लेखा पुस्तकों (वाउचर, सामान्य लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाभ व हानि लेखे, तुलन पत्र आदि) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस करार के प्रावधानों का पालन नहीं किया था जैसा कि नीचे वर्णित है।

7.2.1 वितरक/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट/डीलर आदि को भुगतान किया गया कमीशन का टी टी एस एल द्वारा राजस्व से डेबिट किया गया

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये टी टी एस एल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि वितरक/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट/डीलरों आदि को भुगतान किया गया कमीशन राजस्व से घटाया गया था। चूंकि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों को कमीशन/मार्जिन का किया गया भुगतान व्यवसायिक व्यय (विपणन व्यय) की प्रकृति का था, अतः राजस्व के साथ इस प्रकार के व्यय में घटाव लाइसेंस शर्त के विरुद्ध था। तथापि, टी टी एम एल के सम्बंध में यह देखा गया था कि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट/डीलर आदि को किए गये कमीशन का भुगतान को व्यय माना गया था।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान टी टी एस एल के सभी लाइसेंस युक्त क्षेत्रों के राजस्व से कुल कमीशन ₹ 521.35 करोड़ नेट ऑफ किया था जैसा कि प्रबन्धन द्वारा पुष्टि की गई **(अनुलग्नक -7.01)**। लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रत्युत्तर में, प्रबन्धन ने बताया कि थोक/फुटकर विक्रेता के साथ लेन-देन मूल से मूल प्रकृति के थे तथा लाइसेंस करार के खंड 6 के अनुसार सब लाइसेंस/असाइनमेंट/लाइसेंस का हस्तांतरण भी नहीं था। अतः थोक विक्रेता/डीलर/फुटकर विक्रेता को भुगतान किये गये रिचार्ज वाउचर (आर सी वी) तथा स्टार्ट अप किट्स (एस यू के) के वृहत क्रय पर ट्रेड डिस्काउन्ट अथवा व्यापारिक डिस्काउन्ट को लाइसेंस फीस के परिकलन के प्रयोजन हेतु बाद में नहीं जोड़ना चाहिये।

मूल से मूल के सम्बंध पर प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैराग्राफ 3.2.1 (क) में बताया गया है।

इस प्रकार वितरकों/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट/डीलर इत्यादि को भुगतान किया गया कमीशन राजस्व से घटाया (नेटेड आफ) किया गया परिणामतः जी आर/ए जी आर का ₹ 521.35 करोड़ से कम अंकन हुआ और एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 47.33 करोड़ और ₹ 14.25 करोड़ कम भुगतान हुआ।

7.2.2 टीटीएसएल तथा टीटीएमएल द्वारा उपभोक्ताओं इत्यादि को प्रदत्त छूट को घटाने के कारण राजस्व को आंका गया

वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रदान किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने अभिदाताओं को विभिन्न योजनायें/छूट पेश की थी (मात्रा छूट, इन्ट्रा सर्किल छूट, कन्टेन्ट सेवा छूट, रिचार्ज कार्ड छूट, एस एम एस छूट, टाटा टू टाटा छूट व नकद छूट, आदि)। यह भी देखा गया था कि कम्पनी ने व्यय शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष से ये छूट डेबिट की थी जिसका परिणाम यह हुआ ए जी आर के लिये विचारित राजस्व का कम अंकन किया गया।

चूंकि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों को कमीशन/मार्जिन का भुगतान व्यवसायिक व्यय (विपणन व्यय) की प्रकृति का है, अतः राजस्व से इस प्रकार के व्यय को घटाया जाना लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध था।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल व टी टी एम एल की विविध छूट के कारण राजस्व से कुल नेट ऑफ राशि क्रमशः 4814.16 करोड़ व ₹ 1476.18 करोड़ आंकी गई। **(अनुलग्नक 7.02 व 7.03)**

प्रबन्धन ने बताया कि कम्पनी द्वारा दी गई छूट ट्राई के साथ फाइल की गई टैरिफ योजना के भाग के रूप में दी गई छूट थी, कर्मचारियों तथा व्यवसायिक सहयोगी को दी गई छूट तथा इंटरनल लाइन

(आंतरिक विषय) छूट थी।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार निम्न है—

प्रबन्धन का यह तर्क कि ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ योजना के तहत उपरोक्त छूट कवर की गई थी, स्वीकार्य नहीं है चूंकि इस प्रकार की टैरिफ योजनायें लेखापरीक्षा के साथ न तो शेयर की गई थीं और न ही उत्तर के साथ संलग्न की गई थीं। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस करार के परिशिष्ट—III के अनुसार ए जी आर विवरण तैयार करते समय सेवा राजस्व, सकल में दर्शाया जाना चाहिये और किसी प्रकार की छूट/रिबेट से नैट ऑफ नहीं किया जाना चाहिये।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा विविध छूट के कारण राजस्व से क्रमशः राशि ₹ 4814.16 करोड़ और ₹ 1476.18 करोड़ घटायी गयी (नेटेट आफ) जिससे जी आर/ए जी आर इतनी राशि से कम बनाये गये और टी टी एस एल द्वारा एल एफ व एस यू सी द्वारा क्रमशः ₹ 444.20 करोड़ तथा ₹ 131.77 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा ₹ 147.62 करोड़ तथा ₹ 48.42 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.2.3 टी टी एस एल व टी टी एम एल के द्वारा सकल राजस्व से उपभोक्ताओं को पेश किये गये समायोजन को (नेटिंग ऑफ) घटाया गया।

वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रदान किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने लेखा के राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत विविध प्रकार के समायोजन ('बिलिंग समायोजन, संग्रहण वेवर के लिये समायोजन, बिल बैंक आउट समायोजन, राउन्ड आफ समायोजन तथा विविध समायोजन' आदि) के लिये पृथक लेखा कोड रखा था तथा सभी समायोजन राजस्व में डेबिट कर दिये गये थे।

यह भी देखा गया था कि उपभोक्ताओं को दिये गये वेवर के कारण कम्पनी ने समायोजन देने के उद्देश्य से राजस्व शीर्ष में इस तरह के समायोजन को डेबिट किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि ए जी आर के लिये विचारित राजस्व उस हद तक कम दर्शाया गया था।

चूंकि 'वेवर' व्यवसाय बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का एक भाग था, वे व्यय की प्रकृति के थे तथा लाइसेंस करार के अनुसार व्यय की सम्बन्धित मदों के लिये घटाव अनुमत नहीं किया गया था।

टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा राजस्व से नेटिड ऑफ संग्रहण वेवर के लिये समायोजन की कुल राशि वर्ष 2006–07 से 2009–10 के लिये क्रमशः ₹ 128.00 करोड़ तथा ₹ 147.73 करोड़ निकाली (अनुलग्नक 7.04 तथा 7.05) जिसमें ए जी आर उसी हद तक कम बताये गये थे।

कम्पनी ने उत्तर में बताया था कि:

- सामान्य व्यवसाय करने में उपभोक्ताओं/कर्मचारियों/आउटसोर्सिड कर्मचारी आदि को दिये गये समायोजन/वेवर लेखा शीर्ष में शामिल है तथा राजस्व की पहचान इस प्रकार के वेवर को घटाने के उपरान्त की जाती है।
- विवादों के कारण समाकृति त्रुटियों के कारण गलत बिलिंग होने पर संशोधन/समायोजन किये जाते हैं। ये त्रुटियां अधिक बिल बनाये जाने, गलत बिल बनाये जाने, समय पर भुगतान करने लेकिन फिर भी भुगतान प्रभार बिलम्ब से लगाये जाने से संबद्ध हो सकती हैं, बाद में, इसे वेव आफ (छोड़ दिया

गया) कर दिया गया था। बिलिंग में समायोजन/बिलिंग में त्रुटियां किसी व्यवसायिक गतिविधि का सामान्य भाग है और नकद का सकल अंतर्प्रवाह, प्राप्त योग्य अथवा बिलिंग में गलत/त्रुटि के कारण अन्य विचार का परिणाम या कारण नहीं होती है इसीलिये गलत बिलिंग के विरुद्ध समायोजित/घटाव किये जाने में विपरीत क्रम की आवश्यकता होती है

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार निम्न है—

- प्रबन्धन द्वारा इंगित किये जाने पर, बिलिंग समायोजन तथा ऑपरेटर जमा समायोजन पर विचार किया गया है और तदनुसार आंकड़ों में संशोधन किया गया है।
- अन्य समायोजन जैसे संग्रहण वेवर और विविध समायोजन आदि के सम्बंध में प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है चूंकि ये व्यवसाय बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग होते हैं अतः वे व्यय की प्रकृति के होते हैं और लाइसेंस करार के खंड 19.1 में व्यय की सम्बन्धित मदों के लिये घटाव की अनुमति नहीं दी गई है।

इस तरह संग्रहित वेवर/विविध समायोजन इत्यादि की कुल समायोजन राशि टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा क्रमशः ₹ 128.00 करोड़ और ₹ 147.73 करोड़ राजस्व से घटायी गई (नेटेड आफ) जिसके कारण जी आर/ए जी आर कम दर्शाये गये और टी टी एस एल द्वारा एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 11.20 करोड़ तथा ₹ 3.48 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा ₹ 14.77 करोड़ व ₹ 4.85 करोड़ कम हुआ।

7.2.4 टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा स्टार्ट अप किट, रिचार्ज वाउचर इत्यादि के राजस्व का नेटिंग आफ

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रदान किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी थोक विक्रेता/डीलर/फुटकर विक्रेता को रिचार्ज वाउचर (आर सी वी) तथा स्टार्ट अप किट (एस यू के) के वृहत क्रय पर विविध छूट देती है। यह भी देखा गया कि कम्पनी ने राजस्व शीर्ष से ये छूट डेबिट की थी जिसके परिणाम स्वरूप ए जी आर के लिये विचारित राजस्व कम दर्शाया गया था। चूंकि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों को दी गई वृहत क्रय पर छूट व्यवसायिक व्यय (विपणन व्यय) की प्रकृति की थी, राजस्व में इस प्रकार के व्यय का घटाव लाइसेंस शर्त के विरुद्ध था।

वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान, टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा क्रमशः ₹ 104.82 करोड़ तथा ₹ 8.50 करोड़ की कुल राशि राजस्व से घटाई गई थी (अनुलग्नक 7.06 व 7.07) जिससे ए जी आर उसी हद तक कम बताये गये थे।

प्रबन्धन ने बताया कि थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता साथ लेन-देन मूल से मूल प्रकृति के थे तथा लाइसेंस करार के खंड 6 के अनुसार सब लाइसेंस/असाइनमेंट/लाइसेंस का हस्तांतरण अनुमत नहीं था। अतः रिचार्ज वाउचर (आर सी वी) तथा स्टार्ट अप किट्स (एस यू के) में वृहत्त क्रय पर छूट या व्यापार छूट जोकि थोक विक्रेता/डीलर/रिटेलर को दी गई थी, लाइसेंस फीस की गणना के प्रयोजन हेतु वापिस नहीं जोड़नी चाहिये।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार मूल से मूल के सम्बंध में पैराग्राफ 3.2.1 (क) में बताया गया है इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा राजस्व से कुल राशि क्रमशः ₹ 104.82 करोड़ और

₹ 8.50 करोड़ घटायी (नेटेट आफ) जिससे जी आर/ए जी आर कम दर्शाये गये और टी टी एस एल द्वारा एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 8.90 करोड़ तथा ₹ 2.82 करोड़ व टी टी एम एल द्वारा ₹ 0.85 करोड़ व ₹ 0.28 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.2.5 टी टी एस एल द्वारा सकल राजस्व में अवसंरचना शेयरिंग से प्राप्त आय को ध्यान में न रखना

टी टी एस एल के विवरणों पर टिप्पणियों व लेखापरीक्षित ए जी आर विवरण की समीक्षा में यह देखा गया था कि 2008-09 व वि व 2009-10 के दौरान कम्पनी द्वारा अवसंरचना हिस्सेदारी के लिये ओपेक्स प्राप्ती से आय को सकल राजस्व के लिये विचार नहीं किया गया था, जैसाकि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा खुलासा किया गया था।

लाइसेंस करार के निबन्धनों में, जी आर में अवसंरचना की अनुज्ञेय शेयरिंग से राजस्व में व्यय की संबंधित मद किसी प्रकार का घटाव किये बिना शामिल है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस करार, कापेक्स व ओपेक्स के मध्य अवसंरचना शेयरिंग राजस्व में कोई भेद नहीं करता है। अतः व्यय के विरुद्ध अवसंरचना शेयरिंग से राजस्व का घटाव अनुमत नहीं किया गया था।

अन्य ऑपरेटरों से प्राप्त कुल राशि जिस पर वर्ष 2008-09 व 2009-10 में ए जी आर के परिकलन के लिये विचार नहीं किया गया था, ₹ 23.49 करोड़ थी **(अनुलग्नक 7.08)**

प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि

- ओपेक्स की प्रतिपूर्ति ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये चूंकि व्यय में क्रेडिट प्राथमिक रूप से व्यय के वर्गीकरण, व्यय वृद्धि की वास्तविकता, व्यय की प्रतिपूर्ति तथा प्राप्त बीमा दावा, किसी सम्बंध/लेखांकन प्रथाओं में कम्पनी के लिये राजस्व नहीं होते हैं।
- इसके अतिरिक्त कम्पनी ने बताया कि टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को अपने निर्णय में स्पष्ट तौर पर निर्धारित किया था कि भुगतान जोकि व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रकृति का है, राजस्व नहीं समझा जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टी डी सैट के निर्णय दिनांक 23 अप्रैल 2015 के विरुद्ध दू वि ने सर्वोच्च न्यायालय में अपिल दायर की है। प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार पैराग्राफ 3.2.4 में बताया गया है।

इस प्रकार अन्य ऑपरेटरों से प्राप्त कुल आय जो ए जी आर के परिकलन के लिये विचार नहीं की गयी ₹ 23.49 करोड़ थी जिसके कारण लाइसेंस फीस ₹ 2.26 करोड़ व एस यू सी ₹ 0.65 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.2.6 टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा सकल राजस्व के परिकलन के लिये वसूला गया फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रेषित डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि यद्यपि लेखापुस्तकों में दर्ज विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण फोरेक्स लेखा कोड में लाभ तिमाही वसूला गया था, जी आर/ए जी आर के लिये इस पर कोई विचार नहीं किया गया था।

टी टी एस एल व टी टी एम एल के लिये 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये प्रचालित फोरेक्स लेखा कोड प्रकरण में वसूला गया त्रैमासिक निवल लाभ को ध्यान में रखते हुए क्रमशः ₹ 261.75 करोड़ व

₹ 59.26 करोड़ लाभ हुआ (अनुलग्नक 7.09 व 7.10) जिसका ए जी आर के लिये विचार नहीं किया था।

यहां यह उल्लेखित करना उपर्युक्त है कि ओरेकल फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट से निकाले गये डेटा से उपरोक्त वसूले गये लाभ की गणना उस विशेष मद के वास्तविक लाभ को प्रस्तुत नहीं करती थी, चूंकि प्रत्येक वर्ष विदेशी विनियमय लाभ/हानि शीर्ष के अन्तर्गत शामिल सभी मदों के मूल्य को कम्पनी ने बदला था। पूर्ण विकसित मदों को वसूले लाभ के अन्तर्गत लेखांकित किया और अविकसित मदों को वसूले नहीं गये लाभ के अन्तर्गत रखा। इस तरह उस वर्ष के लिये विशेष मद में वसूला लाभ मध्यवर्ती अवधि के दौरान नहीं वसूले गये के अन्तर्गत उस मद के लाभ/हानि को लेखांकित करने के कारण वास्तविक लाभ नहीं होगा। लेखापरीक्षा प्रत्येकमद की प्रारंभिक कीमत के अभाव में प्रत्येक वर्ष वसूले गये लाभ के अन्तर्गत लेखांकित मदों की वास्तविक कीमत पर नहीं पहुंच सकी। आगे लेखापरीक्षा ने तिमाही शुद्ध लाभ को लेखा शीर्ष अनुसार और एल एस ए अनुसार विचार किया क्योंकि लेखापरीक्षा के लिये यह संभव नहीं था कि उपलब्ध कराये गये डेटा से लाभ के आंकड़ों को अलग/संग्रह कर सके। प्रदाता को, प्रारंभिक लेखांकित कीमत के अनुसार में प्रत्येक मद के लाभ की गणना करनी चाहिए और कुल फोरेक्स लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिये था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आंकड़ों की पुष्टि करते समय, प्रबंधन द्वारा यह उत्तर दिया गया था कि

- विदेशी विनियम में उतार-चढ़ाव आकस्मिकता थी जिसका प्रत्येक व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता था और इस प्रकार का लाभ कम्पनी की प्राथमिक व अनुपूरक सेवाओं से उपार्जित नहीं हुआ था जैसाकि अपने उपभोक्ताओं/अभिदाताओं को दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराया जाना। फोरेक्स लाभ परिणाम तब होता है कि जब विदेशी विनियम में भुगतान के लिये उत्तरदायित्व घरेलू मुद्रा व विदेशी मुद्रा की वृद्धि के कारण कम होता है और इस प्रकार की विनियम भिन्नतायें तब उत्पन्न होती हैं जब पुस्तकों में प्रारम्भ में जो दरें दर्ज की गई थीं, से भिन्न होती हैं।
- लेखा परीक्षा ने लेखा शीर्ष में दर्ज काल्पनिक हानि को उपेक्षित कर केवल लाभ पर विचार किया। फोरेक्स लाभ हानि, दूरसंचार व्यय से भिन्न है, जहां वैचारिक लाभ पर विचार, हानि को अलग करके किया जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक बुक क्लोजिंग अवधि की समाप्ति पर विनियम दर भिन्नताओं का हिसाब देने में स्वीकृत उन्हीं सिद्धांतों में रिकॉर्ड किये गये हैं। यह विक्रेता को भुगतान करते समय कार्यान्वित करवाये गये हैं।
- दिनांक 23 अप्रैल 2015 को एे यू एस पी आई बनाम संघ सरकार व अन्यो पर पारित टी डी सेट निर्णय में कहा गया था कि "विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण कोई लाभ अथवा हानि पर लाइसेंस फीस नहीं वहन होनी चाहिये"।

प्रबंधन का तर्क स्वीकार योग्य नहीं था

- जैसा कम्पनी द्वारा वसूला फोरेक्स लाभ प्रासंगिक दूरसंचार गतिविधि थी। लेखा परीक्षा ने केवल तिमाही निवल वसूले गये लाभ पर विचार किया और नहीं वसूले गये लेखा शीर्ष (काल्पनिक) को उपेक्षित किया था। आगे लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, "जी आर में..... अन्य कोई विविध राजस्व सम्बंधित व्यय के मदो को घटाये बिना शामिल होगी और फोरेक्स लाभ, विविध राजस्व का भाग होगा।
- लेखा परीक्षा ने देखा कि कम्पनी द्वारा संदर्भित टी डी सेट निर्णय के विरुद्ध, दू सं विभाग ने

अप्रैल 2015 में अपील की। यद्यपि संदर्भित मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि कम्पनी द्वारा जी आर में फोरेक्स लाभ पर विचार नहीं करना लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा वसूले फोरेक्स लाभ क्रमशः ₹ 261.75 करोड़ और ₹ 59.26 करोड़ को ए जी आर में शामिल करने का विचार नहीं लिया जिसके कारण टी टी एस एल द्वारा एल एफ ₹ 23.59 करोड़ और एस यू सी ₹ 7.15 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा एम एफ ₹ 5.93 करोड़ और एस यू सी ₹ 1.94 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.3 राजस्व तथा एल एफ के विवरण में राजस्व का कम बताया जाना (ए जी आर विवरण) यद्यपि उनको लेखापुस्तकों में दर्ज किया गया था

7.3.1 टी टी एस एल द्वारा जी आर/ए जी आर में ब्याज आय पर विचार न करना

ए जी आर विवरण व लाभ और हानि लेखों से, यह देखा गया था कि 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल की लेखा पुस्तकों में ब्याज आय ₹ 568.69 करोड़ (अनुलग्नक 7.11) को जी आर के लिये विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने सूचित किया कि मई 2011 में ₹ 568.69 करोड़ की सारी राशि पर जी आर/ए जी आर में शामिल किया गया था तथा ब्याज आय पर विरोध जारी रहा। यह भी बताया गया था कि इन राशियों को राजस्व शेयर की गणना के लिये शामिल नहीं किया जाना है क्योंकि ए जी आर की परिभाषा मुकदमेबाजी के अन्तर्गत थी और न्यायाधिक प्रक्रिया द्वारा उचित समय पर निर्धारित होगी।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लाइसेंस करार में जी आर की परिभाषा राजस्व शेयर के परिकलन हेतु जी आर/ए जी आर में ब्याज से आय के समावेशन हेतु स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करती है। यद्यपि कम्पनी ने उत्तर दिया था (नवम्बर 2015) कि मई 2011 में जी आर/ए जी आर के लिये उसी पर विचार किया गया था, वे पहले के वर्षों में विचार में ली गई राशि की सूचना के समर्थन में और उस पर किया गया भुगतान के दावे की पुष्टि करने के लिये दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे और इसकी अनुपस्थिति के कारण लेखापरीक्षा जांच नहीं कर सका। आगे दू सं वि को प्रेषित किये गये वर्ष 2006-07 से 2009-10 के अंकेक्षित ए जी आर विवरणों में ब्याज आय जैसा ऊपर दर्शायी गई है, को सम्बंधित वर्षों में एल एफ/एस यू सी के परिकलन के लिये विचार में नहीं लिया गया था।

इस प्रकार ब्याज आय ₹ 568.69 करोड़ के गैर विचार के कारण वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये जी आर/ए जी आर कम बताये गये और टी टी एस एल द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 51.22 करोड़ व ₹ 15.53 करोड़ कम भुगतान हुआ।

7.3.2 जी आर/ए जी आर में निवेश की बिक्री में लाभ पर विचार नहीं किया गया

यू ए एस एल करार के परिशिष्ट II से अनुलग्नक II के अनुसार, राजस्व व राजस्व फीस (ए जी आर विवरण) के विवरण का फार्मेट लाइसेंस करार का अभिन्न भाग है। विवरण में, 'निवेश से आय' दर्शाने के लिये मद 4 निर्धारित की गई है। यू ए एस लाइसेंस करार का खंड 19.1 सकल राजस्व की परिभाषा देने के साथ-साथ यह भी बताता है कि राजस्व कोई भी अन्य विविध आय शामिल करता है तथा साथ ही

राजस्व में व्यय की सम्बन्धित मदों हेतु किसी प्रकार का घटाव नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने टी टी एस एल व टी टी एम एल में लेखापरीक्षित ए जी आर विवरण तथा लाभ व हानि लेखे तो यह पाया कि वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान लाइसेंस फीस/एस यू सी के भुगतान हेतु सकल राजस्व की गणना के लिये निवेश की बिक्री से लाभ पर विचार नहीं किया था (लम्बी अवधि के/वर्तमान निवेश)। टी टी एस एल की कुल राशि ₹ 2082.87 करोड़ तथा टी टी एम एल की ₹ 0.63 करोड़ बनती थी। **(अनुलग्नक 7.12 व 7.13)**। कम्पनी ने उत्तर दिया कि इसने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बेतार टी टी इनफो सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू टी टी आई एल) में निवेश की बिक्री पर लाभ के प्रकरण में (2008-09 व 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित राशि) लाइसेंस फीस का भुगतान तथा मई 2011 में (2006-07 व 2007-08 से सम्बन्धित राशि) निवेश की बिक्री पर लाभ में लाइसेंस फीस का भुगतान किया।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था चूँकि लाइसेंस अनुबंध बताना है कि राजस्व शेयर के परिकलन के लिये जी आर/ए जी आर में निवेश की बिक्री से लाभ की आय को समावेशित करना है। यद्यपि कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि मई 2011 में जी आर/ए जी आर के लिये इसे शामिल किया गया था, परन्तु वे पहले के वर्षों में विचार में ली गई राशि की सूचना के समर्थन में और उस पर किया गया भुगतान के दावे की पुष्टि करने के लिये दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे और इसकी अनुपस्थिति के कारण लेखापरीक्षा जांच नहीं कर सका आगे, दूरसंचार विभाग को प्रेषित किये गये वर्ष 2006-07 से 2009-10 के अंकित ए जी आर विवरणों में निवेश की बिक्री से लाभ की आय, जैसा ऊपर दर्शाया गया है, सम्बन्धित वर्षों में एल एफ/एस यू सी की गणना के लिये विचार में नहीं लिया गया था।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा निवेश बिक्री से लाभ की आय क्रमशः ₹ 2082.87 करोड़ और ₹ 0.63 करोड़ आई जिसके कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये और टी टी एम एल द्वारा एल एफ ₹ 187.63 करोड़ और एस यू सी ₹ 56.93 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा एल एफ ₹ 0.06 करोड़ और एस यू सी ₹ 0.02 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.3.3 जी आर/ए जी आर के लिये सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ का विचार न करना

डेटा/दस्तावेजों से (अर्थात् कम्पनी ट्रायल बैलेंस, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित ए जी आर विवरण, लेखा/विवरण पर टिप्पणियां व राजस्व समाधान विवरण आदि) यह पता चला कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान टी टी एस एल व टी टी एम एल दोनों के द्वारा 'स्थिर सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ' से प्राप्त राजस्व को सम्बन्धित वर्षों में जी आर/ए जी आर की गणना हेतु नहीं लिया गया था।

2007-08 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल व टी टी एम एल की लेखा पुस्तकों में दर्ज सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ क्रमशः ₹ 121.25 करोड़ तथा ₹ 35.49 करोड़ बनता था **(अनुलग्नक 7.14 व 7.15)**

प्रबंधन द्वारा उत्तर दिया गया कि कम्पनी ने सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ में लाइसेंस फीस का भुगतान किया है यद्यपि कम्पनी दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है कि यह ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी ने इसके भुगतान के दावे की पुष्टि में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये थे अतः इसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा द्वारा उनके प्रायुत्तर को नहीं जाँचा जा सकता। आगे दूरसंचार विभाग को प्रेषित किये गये अंकित ए जी आर विवरण से एल एफ/एस यू सी

का परिकलन करते समय सम्पत्ति बिक्री से लाभ को विचार में नहीं लिया गया था।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा सम्पत्ति की बिक्री से लाभ क्रमशः ₹ 121.25 करोड़ और ₹ 35.49 करोड़ पर विचार नहीं करने के कारण टी टी एस एल द्वारा एल एफ ₹ 10.97 करोड़ और एस यू सी ₹ 3.32 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा एल एफ ₹ 3.55 करोड़ और एस यू सी ₹ 1.16 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.4 अन्य मामलों के कारण राजस्व शेर का कम/गैर भुगतान हुआ

7.4.1 मैसर्स टी टी एस एल द्वारा राजस्व से समायोजित अप्राप्य ऋण बट्टे खाते में डाल दिये जाने के परिणाम स्वरूप ए जी आर कम आंके गये।

लेखापरीक्षा को भेजे गये डेटा/दस्तावेजों की समीक्षा से यह पाया गया था कि सम्बन्धित परिमंडलों के ए जी आर के परिकलन के लिये विवरण तैयार करते समय टी टी एस एल ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण को सेवाओं से राजस्व के सम्बन्धित घटकों से समायोजित किया था।

लाइसेंस करार ए जी आर की गणना के लिए जी आर में अप्राप्य ऋण की कमी का प्रावधान नहीं करता है। सेवाओं से राजस्व के सम्बन्धित घटकों से समायोजित 'अभिदाता अप्राप्य ऋण को बट्टे खाते में डालने' की कुल राशि ₹ 272.29 करोड़ थी (अनुलग्नक 7.16)।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि ₹ 272.29 करोड़ की राशि बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण के रूप में राजस्व से समायोजित की गई थी।

इस प्रकार (संबन्धित राजस्व के घटक सेवा में बट्टे खाते में डाली गई बेड डेब्ट्स के समायोजन से ₹ 272.29 करोड़) के परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 26.64 करोड़ और ₹ 7.61 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.4.2 टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा दावित कटौती में लीज लाइन व पोर्ट प्रभार शामिल किये जाने के परिणाम स्वरूप ए जी आर कम बताये गये

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान टी टी एस एल की लेखापरीक्षित ए जी आर सहित प्रस्तुत विवरण की टिप्पणियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बताये गये के अनुसार, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के परिकलन में लिये विचारित एक्सेस (प्रवेश) प्रभार में लीज लाइन प्रभार व पोर्ट प्रभार शामिल है जिसका सम्बन्धित वर्ष में अन्य वाहकों को वास्तव में भुगतान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, टी टी एम एल के सम्बंध में, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा यह बताया गया था कि वर्ष 2006-07 व 2007-08 के दौरान पी एस टी एन प्रभारों सहित लीज लाइन व पोर्ट प्रभारों पर दावा किया गया और 2008-09 व 2009-10 के दौरान लीज लाइन व पोर्ट प्रभारों में व्यय का दावा पृथक कटौती के रूप में, अन्य वांछनीय कटौतियों के साथ पेश किया गया।

यू ए एस एल करार के खंड 19.2 के निबन्धनों के अनुसार निम्नलिखित को समायोजित सकल राजस्व की प्राप्ति के लिये सकल राजस्व से अलग किया जायेगा।

- i) भारत में अन्य उपयुक्त/अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पी एस टी एन सम्बन्धित कॉल प्रभार (एक्सेस प्रभार) का वास्तव में किया गया भुगतान और
- ii) अन्य उपयुक्त/अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिया गया वास्तविक रोमिंग राजस्व
- iii) यदि सकल राजस्व में सेवा कर व बिक्री कर का घटक शामिल किया गया था तो सरकार को सेवाओं व बिक्री कर के प्रावधान पर सेवा कर का वास्तविक भुगतान

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये टी टी एस एल ने एक्सेस प्रभारों में लीज लाइन व पोर्ट प्रभारों के लिये कुल व्यय शामिल किया था तथा ₹ 255.41 करोड़ की कटौती का दावा किया था जैसा कि **(अनुलग्नक 7.17)** जबकि टी टी एम एल के सम्बंध में यह ₹ 87.26 करोड़ निकाला गया था **(अनुलग्नक 7.18)**

प्रबन्धन ने बताया कि उपभोक्ताओं को संयोजनीयता देने हेतु पोर्ट प्रभारों व लीज लाइन पर भुगतान, अन्तः संयोजन लागत के प्रकार का है तथा उसी का भाग है और चूंकि इसे प्राप्तकर्ता के हाथों में ए जी आर में शामिल किया गया था, इसका परिणाम दोहरा टैक्सेशन होता यदि भुगतानकर्ता के हाथों में कमी के रूप में इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

प्रबंधक का उत्तर तर्क संगत नहीं है चूंकि भुगतान किये गये लीजलाइन और पोर्ट प्रभार वास्तव में किराये पर लिये गये अवसंरचना पर व्यय थे न कि पी एस टी एन से सम्बन्धित कॉल प्रभारों पर (एक्सेस प्रभार) इसलिये, यू ए एस एल अनुबन्ध के खण्ड 19.2 के अन्तर्गत यह कटौती के लिये योग्य नहीं है।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा एक्सेस प्रभार में लीजलाइन और पोर्ट प्रभार पर किये गये कुल खर्च को शामिल किया और कटौती के रूप में क्रमशः ₹ 255.41 करोड़ और ₹ 87.26 करोड़ का दावा किया परिणाम स्वरूप टी टी एस एल द्वारा एल एफ का ₹ 22.10 करोड़ व एस यू सी का ₹ 6.94 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा एल एफ का ₹ 8.73 करोड़ और एस यू सी का ₹ 2.86 करोड़ का कम भुगतान हुआ

7.4.3 टी टी एस एल द्वारा एस यू सी के भुगतान के लिये अवसंरचना/बैंडविथ लिंक की शेयरिंग/लीजिंग से राजस्व का विचार न करना।

परिशिष्ट II से अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व व लाइसेंस फीस के विवरण का प्रारूप (ए जी आर विवरण) जैसा कि यू ए एस एल करार के खंड 20.4 में दिया गया है, लाइसेंस करार का अभिन्न भाग है। विवरण में, मद 1 क 'वायर लाइन अभिदाताओं' से राजस्व दर्शाने के लिये निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त यू ए एस एल करार के खंड 18.3.1 में दिया गया है कि राजस्व शेयर पर आधारित स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने के सीमित प्रयोजन हेतु ए जी आर की गणना करते समय, वायर लाइन अभिदाताओं से राजस्व को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।"

टी टी एस एल न वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में शेयरिंग/लीजिंग आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर/बैंडविथ लिंक/आर व जी प्रकरण, इत्यादि से ₹ 1030.61 करोड़ के राजस्व को **(अनुलग्नक 7.19)** लाइसेंस फीस (एल एफ) के परिकलन के लिये विचार किया गया था, एस यू सी के परिकलन के लिये विचार में नहीं लिया था जो लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों के विरुद्ध था। प्रबन्धन ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि की तथा बताया कि सी डी एम ए एस यू सी के लिये मात्र बेतार सेवाओं से राजस्व दिया गया है और शेष वायर लाइन सेवाओं से प्राप्त आय को एस यू सी के लिये प्रस्तावित किया गया।

एस यू सी के भुगतान के लिये हिस्सेदारी/पट्टे पर दी गई अवसंरचना/बैंड विथ लिंक/आर एण्ड जी मामले इत्यादि के राजस्व को शामिल नहीं करने पर लेखापरीक्षा संवेक्षण इस प्रतिवेदन के पैरा 3.4.3 के अन्तर्गत व्यक्त किया गया है।

इस प्रकार हिस्सेदारी/पट्टे पर दी गई अवसंरचना/ बैंड विथ लिंक/आर एण्ड जी मामले इत्यादि से राजस्व जिसको ए जी आर विवरणों में एल एफ की गणना के लिये विचार में लिया गया परन्तु एस यू सी की गणना के लिये ₹ 1030.61 करोड़ को विचार में नहीं लिया गया परिणाम स्वरूप टी टी एस एल द्वारा एस यू सी का ₹ 28.05 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.4.4 किराये से प्राप्त आय को विचार में नहीं लिया

लेखापरीक्षा ने देखा कि किराया व्यय शीर्ष में ₹ 17.62 करोड़ जमा किये गये थे। व्यय शीर्ष के अन्तर्गत जमा आय की प्रकृति की थी। जी आर के परिकलन के लिये इसे विचार में नहीं लिया गया जिसके कारण जी आर ₹ 17.62 करोड़ से कम बनाये गये। (अनुलग्नक 7.20)

प्रबन्धन ने बताया कि टी टी एस एल कार्यालय स्थल के लिये किराये का भुगतान कर रहा था। कुछ स्थानों पर जगह विक्रेताओं द्वारा ली गई थी जिनको किराये का भुगतान मकानमालिक को करना था। इस तरह के मामलों में टी टी एस एल शुरुआत में किराये का भुगतान कर रहा था और बाद में विक्रेताओं से वास्तविक किराया वसूल रहा था उसके कारण किराया लेखों में जमा कर रहे हैं। इसलिये यह राजस्व नहीं बनता था परन्तु केवल व्यय की प्रतिपूर्ति है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रबंधक ने पहले विक्रेताओं की तरफ से किराये का भुगतान होने और तब बाद में उनसे प्रतिपूर्ति करवाने के सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कारण नहीं दिये थे।

लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि विक्रेताओं द्वारा टी टी एस एल को किराये के लिये दिया गया कोई भी भुगतान किराया आय है जिसे लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हिस्से योग्य राजस्व का भाग मानना चाहिये।

इस प्रकार जी आर के परिकलन के लिये किराया आय ₹ 17.62 करोड़ पर विचार नहीं किया गया जिसके कारण एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.61 करोड़ व ₹ 0.49 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.5 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलों पर (पैरा 7.2 से 7.4) निकाले गये एल एफ और एस यू सी के कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 1019.16 करोड़ और ₹ 338.52 करोड़ है। टी टी एस एल और टी टी एम द्वारा एल एफ और एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज ₹ 1857.71 करोड़ (अनुलग्नक 7.21) है। ब्याज की गणना लाइसेंस करार में निर्धारित दर के आधार पर की गई थी (अर्थात् स्टेट बैंक आफ इंडिया की मूल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक जो भुगतान के दिन विद्यमान थी, तथा गणना के लिये विचारित अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष से मार्च 2015 की समाप्ति तक थी)।

7.6 लेखापरीक्षा कथन पर दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया

टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा राजस्व हिस्सा पर लेखापरीक्षा के कथन नवम्बर 2015 में दूरसंचार विभाग को सूचित किया गया था। दूरसंचार विभाग का उत्तर अपेक्षित है (जनवरी 2016)।